

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 435 / 2012
संस्थान दिनांक 05.10.2012

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

राधेश्याम पिता कालु धीमर, आयु 40 वर्ष
निवासी-ग्राम छोटा बड़दा, तहसील अंजड़
जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 08.07.2015 को घोषित)

1. आरक्षी केन्द्र अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 254 / 2012 अंतर्गत म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) में दिनांक 05.10.2012 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 24.09.2012 को समय 20:15 बजे, विजय के मकान के पास ग्राम हड़की बैड़ी, अंजड़ में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के एक प्लास्टिक केन में हाथ भट्टी की कच्ची महुँआ मदिरा लगभग 09 लीटर भरी रखे हुए पाये जाने के संबंध में अभियुक्त पर म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 24.09.2012 को सहायक उपनिरीक्षक श्री आर.एस. मण्डलोई को देहात भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त राधेश्याम पिता कालु धीमर, निवासी-ग्राम छोटा बड़दा का हड़की बैड़ी अंजड़ में विजय के मकान के पास मदिरा भरी केन लेकर विक्रय करने हेतु बैठा है। सूचना पर विश्वास कर कस्बे से आरक्षक भारत, निलेश व राहगीर पंचान देवेन्द्र व धरम को तलब कर सूचना से अवगत कराया व हमराह लेकर मुखबिर द्वारा बताये पते पर दबिश दी। अभियुक्त राधेश्याम को मय मदिरा भरी केन के पकड़ा तथा केन को चक करने पर उसमें 9 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची महुँआ मदिरा भरी होना पाई थी। अभियुक्त राधेश्याम से पुलिस ने साक्षियों के समक्ष मदिरा रखने संबंधी अनुज्ञा पत्र पूछने पर नहीं होना बताया। सहायक उपनिरीक्षक श्री आर.एस. मण्डलोई ने

अभियुक्त राधेश्याम से लगभग 09 लीटर मदिरा भरी प्लास्टिक की केन जप्त कर प्रदर्शपी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया। साक्षियों के समक्ष अभियुक्त राधेश्याम को गिरफ्तारी कर प्रदर्शपी 2 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया तथा तत्पश्चात् सहायक उपनिरीक्षक आर.एस.मण्डलोई द्वारा अभियुक्त एवं मदिरा को लेकर थाने आया तथा थाने का अपराध क्रमांक 254/2012 अंतर्गत धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 6 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध कर सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोग पत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि –

क्या अभियुक्त दिनांक 24.09.2012 को समय 20:15 बजे, विजय के मकान के पास ग्राम हड़की बैड़ी, अंजड़ में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के एक प्लास्टिक केन में हाथ भट्टी की कच्ची महुआ मदिरा लगभग 09 लीटर भरी रखे हुए पाया गया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में धरम (अ.सा.1), देवेन्द्र (अ.सा.2), आबकारी उपनिरीक्षक नफीस एहमद खान (अ.सा.3) एवं सहायक उपनिरीक्षक आर.एस. मण्डलोई (अ.सा.4) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार **विचारणीय प्रश्न के संबंध में**

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में सहायक उपनिरीक्षक आर.एस. मण्डलोई अ.सा. 4 ने बताया कि दिनांक 24.09.12 को वह थाना अंजड़ में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर था, उसे कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि अभियुक्त विजय के मकान के पास मदिरा भरी केन लेकर विक्रय करने के लिए बैठा है, तब सूचना पर विश्वास कर आरक्षक निलेश एवं भारत तथा पंच देवेन्द्र एवं धर्मेन्द्र उर्फ धरम को बुलाकर मुखबिर के बताये स्थान

पर गया तथा वहाँ दबिश देकर अभियुक्त को मदिरा भरी हुई केन के साथ पकड़ा था। केन के अंदर भरी हुई मदिरा को देखने पर हाथ भट्टी मदिरा होना पाई थी, जो लगभग 9 लीटर होना पाई थी। अभियुक्त के पास उक्त मदिरा अपने आधिपत्य में रखने के कोई भी दस्तोवज नहीं थे तथा अभियुक्त से प्लास्टिक की केन में उक्त मदिरा प्रदर्शपी 1 के अनुसार जप्त की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। वह जप्त मदिरा एवं अभियुक्त को लेकर थाना अंजड़ आया और अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 254/12 प्रदर्शपी 6 का दर्ज किया था, जिसके ए से ए एवं बी से बी भगा पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने जप्त मदिरा की जाँच आबकारी विभाग वृत्त अंजड़ से कराई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने भ्रमण के दौरान खानगी रोजनामचा सान्हा में इंद्राज की थी, किन्तु उसने रोजनामा सान्हा की प्रतिलिपि अभियोग पत्र के साथ पेश नहीं की हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि विजय का मकान वहाँ बना है, लेकिन वहाँ पर कोई था या नहीं उसे नहीं मालूम। साक्षी ने स्वीकार किया कि देवेन्द्र पुलिस का वाहन चलाता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि जो मदिरा जाँच के लिए पत्र भेजी थी, उसकी प्रति प्रकरण में सलग्न है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्त से कोई मदिरा जप्त नहीं की थी अथवा अभियुक्त के विरुद्ध असत्य प्रकरण बनाया है।

8. धरम असा 1, देवेन्द्र असा 2 अभियुक्तगण उक्त मदिरा जप्त करने के साक्षीगण हैं, लेकिन उक्त दोनों साक्षियों ने अभियुक्त को पहचानने या उनके सामने अभियुक्त से मदिरा जप्त होने से इंकार कर अभियोजन के मामले का पूर्णतः खण्डन किया हैं। उक्त दोनों ही साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है। यहाँ तक कि साक्षियों ने पुलिस को अपना प्रदर्शपी 3 व 4 का कथन देने से भी स्पष्ट इंकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी धरम असा 1 ने स्वीकार किया कि वह थाना अंजड़ में साफ-सफाई का कार्य करता है। उसके सामने कोई मदिरा जप्त नहीं हुई थी, वह पुलिस के साथ कही नहीं गया था। देवेन्द्र असा 2 ने स्वीकार किया कि वह पुलिस का वाहन चलाता है तथा पुलिस उससे कई कागजों पर हस्ताक्षर करवाती रहती है। इस साक्षी ने भी पुलिस के साथ ग्राम हड़कीबैडी जाने से इंकार किया हैं और उसके सामने अभियुक्त से मदिरा जप्त होने से भी इंकार किया है।

9. आबकारी उपनिरीक्षक नफीस एहमद खान असा 3 का कथन है कि दिनांक 25.09.12 को उसने आबकारी कार्यालय अंजड़ में थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 254/12 जप्तशुदा एक केन में भरे तरल पदार्थ की जाँच सुंघकर, चखकर और लिटमस पेपर डालकर और जाँच यंत्रों के आधार पर करने पर केन में भरा पदार्थ हाथ भट्टी मदिरा हानो पाई थी। अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि लिटमस पेपर को क्षारीय पदार्थ में डालने पर उसका रंग परिवर्तन हो जाता है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने कोई मदिरा की जाँच नहीं की है अथवा उसने असत्य रिपोर्ट दी है।

10. ऐसी स्थिति में जबकि जप्ती पंचनामों के दोनों साक्षी धरम असा 1 व देवेन्द्र असा 2 ने अभियुक्त को पहचानने तथा उनके सामने अभियुक्त से कोई भी मदिरा जप्त होने से इंकार किया है। साक्षियों ने यह भी स्वीकार किया कि वह पुलिस के साथ कही भी नहीं गये थे और पुलिस ने उनसे केवल कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिये थे और उन्हें पढ़कर नहीं बताये थे। यहाँ तक कि उक्त साक्षीगण पुलिस थाना अंजड़ पर काम भी करते हैं फिर भी उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है और यह प्रमाणित नहीं होता है कि आर.एस.मडलोई असा 4 ने दिनांक 24.09.12 को अभियुक्त के आधिपत्य से एक केन में हाथ भट्टी मदिरा 09 लीटर प्रदर्शपी 1 के अनुसार जप्त की थी। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है तथा अभियुक्त को इस अपराध या अन्य किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है तथा अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

11. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त राधेश्याम के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त राधेश्याम को संदेह का लाभ देते हुए धारा म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्तशुदा एक प्लास्टिक की केन में 09 कच्ची हाथ भट्टी मदिरा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी